**प्रेस नोट** **27/03/2024**

**ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में यूपी–112 पीआरवी कर्मियों की सूझ–बूझ एवं तत्परता के साथ की गयी कार्यवाही के उपरांत 03 वर्षीय गुमशुदा बच्ची सकुशल बरामद–**

आज दिनांक 27-03-2024 को समय लगभग 09:08 बजे यूपी–112 को इवेंट के माध्यम से थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत गाजीपुर तिराहे से 03 वर्ष के बच्ची के गुमशुदा/अपहरण की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पीआरवी 2252 पर नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुँचकर पीडिता से उसके बच्ची के हुलिया व पहनावा के बारे में जानकारी करके आसपास के भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर बताये हुए हुलिया के अनुसार पूछताछ करते हुए काफी दूर तक तलाश किया गया। तलाश के दौरान ही पास के ही इलाके चाँदमारी इमिलिया के गली में एक मंदबुद्धि जैसी महिला के साथ एक बच्ची को देखकर शकवश पूछताछ किया गया तथा गुमशुदा बच्ची की मां को बुलाया गया तो बच्ची अपने मां को देखकर रोते हुए उसके पास चली गयी। पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करनें से बच्ची को सही सलामत बचाकर उसकी मां को सुपुर्द किया गया जिसकी आम जनमानस में भूरी–भूरी प्रशंसा की जा रही है।

पीआरवी स्टाफ–

हे0का0 अक्षय कुमार यादव, का0 प्रदीप चौहान, का0 घनश्याम, हो0गा0 पायलट अनिल कुमार यादव।

**02 अर्न्तजनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के लगभग डेढ़ लाख रुपये कीमती सफेद व पीली धातु के जेवरात, 12000 रुपये एवं 02 तमन्चा व कारतूस बरामद–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 26-03-2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर खालसाकानून गोयानचक के पास से 02 शातिर अभियुक्तों अलीशेर उर्फ गामा पुत्र जलालुद्दीन निवासी मलकौली थाना कोतवाली नगर, अकबर अली पुत्र कलाम निवासी मझौली राज थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के कब्जे से 10 जोड़ी पायल, 07 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु), 01 अदद कान की बाली, 01 अदद अंगूठी, 01 अदद नथिया, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद नाक की किल (पीली धातु), 12000 रुपये एवं 02 अदद तमन्चा व 02 अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग बसो तथा आटो मे घूमफिर कर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग जगहो पर सिनेमाघरो का टिकट लेकर खाली व बन्द पड़े मकानो से चोरी किया करते हैं तथा आज भी हम लोग इसी फिराक में थे कि पकड़ लिये गये।

इस संबंध में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96,97/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0, मु0अ0सं0 34/2024 धारा 454/380/411 भादवि, मु0अ0सं0 71/2024 धारा 457/380/411 भादवि, मु0अ0सं0 76/2024 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. अलीशेर उर्फ गामा पुत्र जलालुद्दीन निवासी मलकौली थाना कोतवाली नगर देवरिया।
2. अकबर अली पुत्र कलाम निवासी मझौली राज थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी–

1. 01 अदद कान की बाली, 01 अदद अंगूठी, 01 अदद नथिया, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद नाक की किल (पीली धातु)।
2. 10 जोड़ी पायल, 07 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु)।

3. 12 हजार रुपये।
4. 02 अदद तमन्चा व 02 अदद कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, उ0नि0 उ0नि0 नथुनी सिंह, उ0नि0 सुनील कुमार सरोज, हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह, हे0का0 अभिषेक दुबे, का0 संतोष यादव, का0 बृजेश मिश्रा, हे0का0 बच्चे लाल व का0 मुकेश गोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

आज दिनांक 27.03.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा पुलिस लाईन मऊ के आवासीय परिसर में भ्रमण कर निर्माण/मरम्मत कार्यों का गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्माण करा रहे ठेकेदार, क्षेत्राधिकारी लाईन्स व प्रतिसार निरीक्षक के साथ नवनिर्मित नालियों, इण्टरलाकिंग आदि मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया तथा पायी गयी कमियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये ठेकेदार व प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त 08 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹55,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश(बाल न्यायालय)/ अपर सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 27-03-2024 को, मु0अ0सं0 816/2016 धारा 363,366,376,506, भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त विरेन्द्र चौहान पुत्र मनोहर चौहान निवासी खतिबहा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 08 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं ₹55,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।